(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1758-III/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–04–2014 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 65/अपील/2013–14.

1–जडावबाई बेवा किशन बलाई
2–देवसिंह आ0 स्व0श्री किशन बलाई
दोनों निवासी ग्राम देवरी तहसील खिलचीपुर
जिला राजगढ़(ब्यावरा) मध्यप्रदेश

............आवेदकगण

विरूद्ध

1–रतनलाल आ0श्री भागचंद बलाई,
2–जग्गा आ0श्री भागचंद बलाई,
3–भंवरलाल आ0श्री तोल्या बलाई,
4–रामप्रसाद आ0श्री मोन्या बलाई,
5–रामचन्दर आ0श्री मांगीलाल बलाई
6–अमरसिंह आ0श्री मांगीलाल बलाई
7–मदनसिंह आ0श्री मांगीलाल बलाई
निवासीगण ग्राम देवरी तहसील खिलचीपुर,
जिला राजगढ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

...............अनावेदकगण

....

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1 व 2
अनावेदक कमांक 3 व 7–एकपक्षीय

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 7/4/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के न्यायालय के प्रकरण कमांक 65/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23–04–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।